



आप निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करें हम जोखिमों से आपकी रक्षा करेंगे

# समझौता ज्ञापन 2018-19

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार  
तथा  
ईसीजीसी लिमिटेड के बीच  
वर्ष **2018-19** के लिए  
समझौता ज्ञापन

## ईसीजीसी लिमिटेड

( भारत सरकार का उद्यम )

एक्सप्रेस टॉवर्स , नरीमन पॉइंट, मुंबई - 21 , भारत

टेली : (022) 6659 0500-10. फैक्स : (022) 6659 0517. टोल मुक्त : 1-800-224500.

वेब : [www.ecgc.in](http://www.ecgc.in)

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार  
तथा  
ईसीजीसी लिमिटेड के बीच  
वर्ष **2018-19** के लिए  
समझौता ज्ञापन

वर्ष 2018-19 के लिए  
समझौता ज्ञापन

आवश्यक मानदंड

अनुबंध II (भाग क)

(सरकार अनुदान वितरण करने वाले सी पी एस ई को छोड़ कर अन्य सभी पर लागू)

क्र. सं.	वित्तीय निष्पादन मानदंड	ईकाई	अंक	चालू वर्ष अनुमान	5 वर्षों में बेहतरीन	वर्ष 2018-19 के लिए सजा लक्ष्य					सुधार* %
						सर्वोत्तम 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निकृष्ट 20%	
1	पण्यवर्त परिचालनों से आय	₹ करोड़ रु में	10	*1220	1335.41	1300	1250	1200	1150	1100	2.46
2	परिचालन लाभ / हानि परिचालन हानि वाले सी पी एस ई ( अन्य आय , असाधारण व असाधारण वस्तुओं से होने वाले हानि / घाटा को शामिल नहीं किया गया है . ) :-  पिछले वर्ष (%) की तुलना में परिचालन हानि / घाटे में कमी	%	20	206	33.5	100	70	60	50	40	
3	निवेश से अर्जन बिना हानि संचयक वाले लाभ अर्जक सी पी एस ई  कर पश्चात लाभ अथवा अधिशेष / औसत निवल मालियत	%	20	1.31	13.30	5	4	3	2.5	2	205.34
	कुल (क)		50								

\*आय खाते के अनुसार निवेश आय तथा अन्य परिचालन आय सहित

अन्य मानदंड  
अनुबंध II (भाग ग)  
वित्तीय क्षेत्र में परिचालन करने वाले सभी सी पी एस ई पर लागू

क्र सं	वित्तीय निष्पादन मानदंड	ईकाई	अंक	चालू वर्ष अनुमान	5 वर्षों में बेहतरीन	वर्ष 2018-19 के लिए सजा लक्ष्य					सुधार* %
						सर्वोत्तम 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%	सामान्य 40%	निकृष्ट 20%	
4	क्षमता उपयोग										
	जारी की गयी नयी पॉलिसियां सभी प्रकार की पॉलिसियां (समाप्त पॉलिसियों के आलावा)	सं	10	5700	5692	6000	5700	5500	5250	5000	0
5	उत्पादन दक्षता मानदंड										
	क) शामिल खरीदारों की सं	सं	5	18000	18294	18500	18250	18000	17000	16500	1.39
	(ख) नए उत्पाद का आरम्भ (दिनांक)	दिनांक	5	-	-	30-09-18	15-10-18	31-10-18	15-11-18	30-11-18	-
6	चूक / वहन किये गए दावों का मूल्य										
	पॉलिसी व ईसीआईबी के अधीन रिपोर्ट किये गए चूक के मूल्य में कटौती / पिछले वर्ष की तुलना में पॉलिसियों तथा ईसीआईबी के अधीन सकल जोखिम मूल्य	%	5			8	6	4	2	1	
	वहां किये गए दावों का कुल मूल्य / पिछले वर्ष की तुलना में कुल जोखिम मूल्य	%	5			6	5	4	2	1	
7	आकस्मिक देयताएं : कम्पनी के विरुद्ध दावों में कटौती ऋण के रूप में मान्य नहीं होगी.										
	पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के विरुद्ध दावों में कटौती ऋण के रूप में मान्य नहीं होगी (समग्र आधार पर)	%	5	5	-	15	10	6	4	1	-20%
8	मानव संसाधन प्रबंधन . i) सी पी एस ई में लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल (पी सी एम एम) स्तर का मूल्यांकन व स्तर के उन्नयन सम्बन्धी निर्णय के लिए बोर्ड	दिनांक	5			15-12-18	15-01-19	31-01-19	15-02-19	28-02-19	

के समक्ष नोट प्रस्तुत करना तथा यदि हों तो बोर्ड से समय सीमा के लिए अनुमोदन प्राप्त करना. यदि नहीं तो बोर्ड संकल्प में न्यायोचित कारण का उल्लेख किया जाए.										
ii) ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन ( एच आर एम एस ) का कार्यान्वयन तथा वित्त के साथ उसका एकीकरण ( जिसमें कर्मचारी का ऑनलाइन डेटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं सेवा, निकास प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन आदि शामिल है )	दिनांक	5	--	--	15-12-18	15-01-19	31-01-19	15-02-19	28-02-19	
9	अन्य क्षेत्र विशेष परिणाम उन्मुख मापने योग्य मानदंड									
राष्ट्रीय निर्यात समर्थन के हिस्से में वृद्धि ( पिछले वर्ष की तुलना में कुल जोखिम मूल्य / भारत के वाणिज्य वस्तु निर्यात )	%	5	--	--	5	4	3	2	1	
कुल		50								

गीता

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  
ईसीजीसी लि  
दिनांक: 21.05.2018

रीता वेणुगया

वाणिज्य सचिव  
भारत सरकार  
दिनांक: 21.05.2018

## सीपीएसई द्वारा स्वतः घोषणा / प्रमाण पत्र

यह एतद्वारा प्रमाण किया जाता है कि वित्तीय मानदंडों के संबंध में लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियों की गणना, वर्ष 2017-18 के लिए स ज्ञा में निर्धारित मानदंड तथा परिभाषाओं को अपनाते हुए, स ज्ञा के अनुसार की गयी है. यदि निशपादा के मूल्यांकन के समय किसी प्रकार का विचलन पाया गया तो डीपीई, लेखा परीक्षित लेखों तथा स ज्ञा दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए मुक्त है. इस सम्बन्ध में सीपीएसई द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता.

जीता

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

## सरकार तथा विनियामकों के निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतः घोषणा

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि सीपीएसई ने सरकार के निर्देशों तथा विनियामक की आवश्यकताओं का पूरा अनुपालन किया है. यदि निष्पादन के मूल्यांकन के समय किसी प्रकार का विचलन पाया गया तो तो डीपीई , लेखा परीक्षित लेखों तथा स ज्ञा दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए मुक्त है. इस सम्बन्ध में सीपीएसई द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता .

गीता

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता